पत्रांक /Ref. No.: 796 दिनांक /Date.: 23-10-20

संवाद–55

प्रिय अभ्यर्थियों,

आप भिज्ञ हैं कि आयोग के निर्णय के फलस्वरूप दिनाँक 15/10/2020 को वन आरक्षी, पद कोड की जांच में सम्बन्धित SIT की जांच आख्या आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के संज्ञान व फीडबैक के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गई थी। इस मामले में पर मा0 आयोग द्वारा आज दिनांक 23/10/2020 का विस्तृत विचार किया गया व विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मा0 आयोग ने यह भी निर्देश दिये कि चूंकि यह मामला अभी तक व्यापक चर्चा में रहा व इस कारण जांच रिपोर्ट का प्रकाशन भी किया गया अतः आज हुये निर्णय को भी यथावत अभ्यर्थियों के लिए संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित किया जा रहा है।

"इस विषय पर आयोग द्वारा दिनांक 14.10.2020 को विचार विमर्श किया गया था व निर्णय लिया गया था कि "**चूंकि परीक्षा की तिथि से यह मामला समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा वह अभ्यर्थियों के मन में इस परीक्षा के लिए भ्रांतियां हो सकती हैं, अतः इस पृष्ठभूमि में व पारदर्शिता की दृष्टि से यह उचित होगा कि इस रिपोर्ट को आयोग की वेबसाइट पर संवाद स्तम्भ पर प्रकाशित कर दिया जाय। परीक्षा के दिवस में कमियों या अन्य परीक्षा संबंधी मामलों में अभ्यर्थी महत्वपूर्ण राय भी आयोग को दे सकते है अतः इस रिपोर्ट के प्रकाशन का लाभ लेते हुये अभ्यर्थियों से फीडबैक भी ले लिया जाय जिससे उनका भी पक्ष आ सके। इसके लिए उन्हें 03 दिन का अधिकतम समय दिया जाय। इसके उपरांत सचिव इस मामले के विधिक व व्यावहारिक पक्षों को सम्मिलित कर मामले को फिर से आयोग की बैठक में रखेंगे। इस पर समयबद्व निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है**"

2– इसके उपरांत दिनांक 15.10.2020 को सभी अभ्यर्थियों के लिए जांच रिपोर्ट का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट पर **'संवाद पृष्ठ'** पर किया गया था एवं उन्हें दिनांक 18.10.2020 तक का समय फीडबैक देने के लिए दिया गया था। अभ्यर्थियों से कुल 2956 फीडबैक ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुये है। दिनाँक 19 से 22 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया गया।

3– मोटे तौर पर अभ्यर्थियों से जो फीडबैक प्राप्त हुये है वे या तो परीक्षा को निरस्त कराने के संबंध में है या फिर परिणाम जारी कराने के संबंध में। परीक्षा के दिन हुयी घटनाओं के संबंध में विशेष विवरण नहीं दिये गये है पर कई ईमेल में यह उल्लेख किया गया है कि परीक्षा केन्द्रों पर चैकिंग व फ्रिस्किंग उचित रूप से नहीं हुयी है जिससे मोबाइल फोन आदि परीक्षा केन्द्र में ले जा सकते थे। यह बातें उन अभ्यर्थियों ने की है जिन्होंने परीक्षा निरस्त करने के सम्बन्ध में Feed back दिया है। परीक्षा केन्द्रों से ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं है जिसमें परीक्षा केन्द्रों में मोबाइल फोन उपयोग होने की बात हो।

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

यह उल्लेखनीय है कि आयोग के परीक्षा संचालन सम्बन्धी नियमों में मोबाईल परीक्षा कक्ष में ले जाना प्रतिबंधित है। इस मामले में दो शिकायतें आयोग को परीक्षा के समय प्राप्त हुयी थी एवं दोनों शिकायतों की जांच पुलिस के साइबर सेल से कराई गयी थी एवं दोनों ही मामलों में जांच के उपरांत यह बात स्पष्ट हुयी थी कि इन दोनों मामलों में मोबाइल के उपयोग से परीक्षा की शुचिता बाधित नहीं हुयी है।

4– एक मामले मे यह स्पष्ट किया गया था कि सभी अभ्यर्थियों के मोबाईल फोन अलग जमा कराये गये थे किन्तु परीक्षा समाप्त होने के समय (04 बजे) ये अभ्यर्थियों को वापस किये गये इसी अल्प समय में एक अभ्यर्थी नें ओ0एम0आर0 शीट की फोटो ली व 08 बजे रात्रि उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। सम्बन्धित अभ्यर्थी को उनके इस कृत्य के लिए आयोग की परीक्षाओं से 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा चुका है।

5– दूसरे मामले में एक कक्ष निरीक्षक द्वारा किसी अभ्यर्थी की प्रश्न पुस्तिका के आधे पन्ने की फोटो लिया गया था किंतु उसे भी बाद में अपलोड किया गया। इन दोनों ही मामलों में किसी आपराधिक कृत्य की या परीक्षा की शुचिता को बाधित करने की बात साइबर सेल की रिपोर्ट में नहीं आयी। कोरोना संक्रमण प्रारम्भ हो जाने के कारण सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

6– अभ्यर्थियों ने पूर्व में निरस्त की गई परीक्षाओं का भी अपने Feed back में उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में निरस्त की गई एक परीक्षा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के मामले में शासन स्तर पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने जाँच की थी व विस्तृत जांच के बाद बड़ी मात्रा में त्रुटियाँ होने पर इसे निरस्त किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में जारी आदेश दिनाँक 24/10/2017 के द्वारा इस निर्णय को उचित पाया गया था व उसके उपरांत पुनर्परीक्षा कराई गई थी।

एक अन्य परीक्षा JE(E&M) को आयोग द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार की जांच आख्या पर निरस्त किया गया था क्योंकि इस मामले में जांच आख्या में यह व्यक्त किया गया था कि प्रश्नपत्र की शुचिता बाधित होने का संदेह प्रकट किया गया था। यह शुचिता परीक्षा से काफी समय पूर्व भंग होने की शंका से आ गई थी ऐसे में परीक्षा के कई दिन पूर्व ऐसे विषय के आने के कारण इसके व्यापक उपयोग की भी आशंका बन गई थी। अतः परीक्षा में काफी समय पहले होने के कारण इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था।

7– उपरोक्त के अतिरिक्त तीसरी जांच S.I.T. द्वारा की गयी थी जिसकी पहली एक मात्र रिपोर्ट आयोग को दिनाँक 8/10/2020 को प्राप्त हुयी एवं उसे सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया। इस जांच रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार है :–

(i)इस नकल के मामले में 02 मामले दर्ज किये गये है पहला मुकदमा कोतवाली मंगलौर में जिसकी संख्या–मु0अ0सं0 141/2020 धारा 420 भावदि तथा दूसरा मुकदमा कोतवाली पौड़ी में संख्या–मु0अ0सं0–14/20 धारा 420ए 120 IPC पंजीकृत किया गया है। इन दोनों अभियोगों की जांच

में यह पता चला कि हरिद्वार के एक परीक्षा केन्द्र बी.एस.एम. इंटर कालेज रूडकी, हरिद्वार में एक कक्ष निरीक्षक श्री रचित पुण्डीर द्वारा किसी राहुल नाम के व्यक्ति को परीक्षा से कुछ समय पूर्व प्रश्न पत्रों की फोटो खींच कर दी गयी। इसके बाद प्रश्न पत्र को हलकर्ताओं द्वारा हल किया गया तथा ब्लूटूथ डिवाइस पर कॉल करके इनके उत्तर नकल करने वाले अभ्यर्थियों को बताये गये।

(ii)यह भी जांच में स्पष्ट हुआ है कि परीक्षा में नकल करने के लिए प्रयोग में लाई गयी सभी ब्लूटूथ डिवाइस एक ही IMEI No. से संचालित थी। नकल का परिमाण (Extent) जानने के लिए इस IMEI No. को run कराया गया इसके अलावा गवाहों के बयान तथा CDR का भी जांच में उपयोग किया गया।

(iii)जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दिनांक 16 फरवरी, 2020 को प्रथम व द्वितीय पाली में आयोजित वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से अधिकतम 57 अभ्यर्थियों द्वारा नकल की गयी है। इन 57 अभ्यर्थियों में से 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया गया है व इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध बताये गये है। शेष 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित करने का प्रयास जारी है।

(iv)नकल के लिए प्रयोग में लाये गये डिवाइस की लोकेशन के आधार पर यह भी बताया गया है कि कुल 22 परीक्षा केन्द्रों में ये 57 नकल करने वाले अभ्यर्थी बैठे थे इसमें से 20 परीक्षा केन्द्र हरिद्वार जिले में, 01 परीक्षा केन्द्र पौड़ी जिले में तथा 01 परीक्षा केन्द्र देहरादून जिले में था।

(v)इन 22 केन्द्रों व उनमें नकल करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विवरण चार्ट में दिया गया है। जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न चार्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि नकल में सम्मिलित सभी 57 अभ्यर्थी 22 परीक्षा केन्द्रों से संबंधित है किंतु जो चिन्हित होने से अवशेष 26 अभ्यर्थी है वे 14 परीक्षा केन्द्रों से संबंधित है। इन 14 परीक्षा केन्द्रों में लगभग 6046 कुल अभ्यर्थियों द्वारा दोनों पालियों में परीक्षा दी गयी है।

8– इस प्रकार अभी तक इस परीक्षा में त्रुटियों की या अनियमितताओं के 03 मामले आये है। 02 मामले साइबर सेल से जांच कराये जा चुके है तथा 01 मामले में SIT द्वारा जांच रिपोर्ट दी गयी है इसके अतिरिक्त इस परीक्षा में त्रुटि की कोई और शिकायत प्राप्त नहीं है। ऐसे में इस परीक्षा के संबंध में आयोग की बैठक में निर्णय लिया जाना है।

9– परीक्षा के संबंध में निर्णय हेतु यह प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व कार्यालय द्वारा इस मामले का विधिक पक्ष भी देखा गया है तथा इस मामले के समान 05 मामलों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्णयों को संबंधित साइट से डाउनलोड कर देखा गया। इन आदेशों का विवरण निम्नानुसार है :–

(i)रिट याचिका संख्या–2105/2017 कमल भटट् व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं 12 अन्य याचिकाओं को क्लब कर मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2017

(ii)विशेष अपील संख्या 970/2017 श्रीमती पिंकी देवी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की खंडपीठ का निर्णय दिनाँक 1/12/2017

(iii)अपील संख्या–5321/2003 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेश पी0यू0 पुत्थूवलनीकत्थू व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.07.2003

(iv)– अपील संख्या–9227/2010 गिरिजेश श्रीवास्व व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 22 अक्टूबर, 2010

(v)सिविल अपील संख्या–5589–5605/2014 जोगिन्दर पाल व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 23 मई, 2014 (आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत हैं)

इन सभी मामलों से परीक्षा के ऐसे मामलों का निर्णीत करने के लिए विधिक सिद्वान्तों का अवलोकन किया गया है जिससे यह स्पष्ट हुआ है Reasonableness तथा Proportionality के सिद्वांत ऐसे मामलों में सर्वप्रमुख हैं।

अपील संख्या–5321/2003 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेश पी0यू0 पुत्थूवलनीकत्थू व अन्य मामलें में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रस्तर 6 इस प्रकार है:–

"In the light of the above and in the absence of any specific or categorical finding supported by any concrete and relevant material that widespread infirmities of an all pervasive nature, which could be really said to have undermined the very process itself in its entirety or as a whole and it was impossible to weed out the beneficiaries of one or other of irregularities, or illegalities, if any, there was hardly any justification in law to deny appointment to the other selected candidates whose selections were not found to be, in any manner, vitiated for any one or other reasons. Applying an unilaterally rigid and arbitrary standard to cancel the entirety of the selections despite the firm and positive information that except 31 of such selected candidates, no infirmity could be found with reference to others, is nothing but total disregard of relevancies and allowing to be carried away by irrelevancies, giving a complete go bye to contextual considerations throwing to winds the principle of proportionality in going farther than what was strictly and reasonably required to meet the situation. "

वर्तमान परीक्षा के मामले में तीनों जांचे आयोग कार्यालय को प्राप्त है SIT की रिपोर्ट में अभी 26 नकल करने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है तथा यह उल्लेख किया गया है कि इस संबंध में जांच अभी जारी है किंतु SIT जांच में नकल का परिमाण (Extent) इंगित कर दिया गया है जो कि सीमित है, क्योंकि 1218 पदों के

सापेक्ष केवल 57 अभ्यर्थी ही अधिकतम बताये गये है जो नकल में सम्मिलित हैं। अतः उपरोक्त सिद्धान्तों पर ही इस मामले में भी निर्णय लिया जाना उचित लगता है।

उपरोक्त समस्त सामग्री मा0 सदस्यगणों एवं मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जा रही है अतः इस मामले में आयेाग का मार्गदर्शन निवेदित है।

ह0
सचिव

निर्णय – आयोग द्वारा इस मामले पर गहन विचार किया गया एजेण्डा टिप्पणी के प्रत्येक पक्ष की समीक्षा की गई। अभ्यर्थियों के फीडबैक का सार तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णयों का भी संदर्भ लिया गया। समुचित विचारोपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये–

1– इस मामले में पूरी परीक्षा को निरस्त करने का औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसा निर्णय न तो Reasonable होगा एवं न ही Proportionate होगा। गड़बड़ी का परिमाण सीमित है जबकि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है जिन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। इसके साथ ही लगभग 1लाख अभ्यर्थियों ने 188 परीक्षा केन्द्रों में 2 पालियों में परीक्षा दी है इसमें से केवल 57 अभ्यर्थी ही चिन्हित हुए है तथा 22 परीक्षा केन्द्र अंतिम रूप से चिन्हित हुए हैं

2– वर्तमान तक SIT/पुलिस जांच में 57 में से 26 अभ्यर्थियों को चिन्हित नहीं किया जा सका है अतः इस परीक्षा के मामले में पुलिस /SIT से जांच की वर्तमान प्रगति प्राप्त की जाय। 1 माह के भीतर जो भी अद्यतन या अंतिम जांच प्राप्त होगी उसके आधार पर तत्समय निर्णय लिया जायेगा।

3– भविष्य में इस तरह के मामले न हो इस दृष्टि से नकल में चिन्हित 31 अभ्यर्थियों के खिलाफ आयोग की आरे से भी दीर्घ अवधि के प्रतिबंध जैसी कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है इसके लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अलग से आयोग के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाय।

4– परीक्षा केन्द्र जहां पर पेपर लीक कराने की घटना हुई है उनके स्तर पर भी परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर गम्भीर अनियमितता हुई है ऐसे में इस परीक्षा केन्द्र को आयोग की परीक्षाओं के लिए Black List किया जाय। इस विद्यालय का विवरण विद्यालयी शिक्षा विभाग को भी भेजा जाय व अनुरोध किया जाय कि यदि राज्य सरकार इन्हें कोई अनुदान या सहायता देती है/दे रही है तो कृपया उस पर पुनर्विचार किया जाय जिससे भविष्य में परीक्षा केन्द्रों पर राज्य सरकार की छवि धूमिल करने के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

5– इस मामले में एक कक्ष निरीक्षक को भी आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया गया है, अतः उन्हें भविष्य में परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में ड्यूटी देने के लिए आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाय। साथ ही उनके विद्यालय/नियंत्रक अधिकारी को उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाने का अनुरोध भेजा जाय।

6– पूर्व में टिहरी में परीक्षा के दौरान मोबाईल से फोटो लेकर उसे परीक्षा कक्ष से बाहर भेजने वाले कक्ष निरीक्षक को भी आयोग की परीक्षाओं में ड्यूटी करने से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाय व उनके विद्यालय व नियंत्रक अधिकारी से उनके खिलाफ समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया जाय।

7— यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि अब इस मामले में जांच रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया है अतः आज की बैठक का यह निर्णय भी अभ्यर्थियों के लिए संवाद पृष्ठ पर सार्वजनिक कर दिया जाय।

एक माह के बाद मामले को पुनः प्रस्तुत किया जाय

ह0
मा0 सदस्य प्रथम

ह0
मा0 सदस्य द्वितीय

ह0
मा0 अध्यक्ष "

यह निर्णय अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

23/X/2020
(संतोष बडोनी)
सचिव